

प्रश्न सं. [क. 1327]

परिशिष्ट-1



कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

ठेकेदार पंजीयन प्रमाण-पत्र



आवेदक का विवरण	
कंपनी का नाम	DOLLY INFRASTRUCTURE PVT LTD
निदेशक	NA
स्थाई पता	121, CHITRAKUT SOCIETY 1 LAXMIKANT ASHRAM ROAD NEAR RASHI CIRCLE, KATARGAM, DIST- SURAT, GUJARAT, 395004

पंजीयन क्रमांक	संवर्ग	वैधता	
		पंजीयन दिनांक	समाप्ति दिनांक
EC170040587	CIVIL	14/11/2017	13/11/2027

स.क्र.	निदेशक के नाम	पैन नंबर
1	VRAJLAL BHIKHABHAI SAVALIYA	ADZPS8721L
2	MUKESHBHAI BHIKHABHAI SAVALIYA	ACTPS6214K
3	BHIKHABHAI MOHANBHAI SAVALIA	ACTPS6021N
4	REKHABEN VRAJLAL SAVALIA	AFXPS3120D

कंपनी का टिन नंबर	कंपनी का पैन नंबर
23AABCD9703D1Z4	AABCD9703D

कृपया नियम और शर्तों हेतु इस प्रमाण पत्र के पीछे देखें।
ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी आईडी क्रमांक-PWD170020735

मुख्य अभियंता (पंजीयन)

Digitally Signed by Animesh
Upadhyay
Date: 15-11-2022 14:34:09 +05:30



कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

नियम एवं शर्तें

1. यह पंजीयन मध्यप्रदेश शासन के समस्त निर्माण विभागों, अर्द्ध-शासकीय संस्थानों, निगमों मंडलों एवं उपक्रमों के लिए मान्य होगा।
2. पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन, निचली श्रेणी में अवनत, रद्द करना एवं काली सूची में नाम रखने की कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार की जाएगी।
3. फर्म के नाम से पंजीयन होने की दशा में फर्म के भागीदारों के परिवर्तन की जानकारी तत्काल पंजीयन अधिकारी को दी जाना एवं सिटीजान एडिट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट की जाना आवश्यक होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पंजीयन हेतु जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
5. पंजीयन के संबंध में किये जाने वाले पत्राचार में पंजीयन का आई.डी. अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें।
6. सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु पंजीयन होने की दशा में विद्युत कार्य का कार्यक्षेत्र, सीमाएं एवं संपादन म.प्र. अनुज्ञापन मंडल विनियम 1960 के अंतर्गत जारी विद्युत लाइसेंस (ए-श्रेणी/बी-श्रेणी) के अध्याधीन होगा।
7. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज तथा जानकारियां त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा कटरचित पाए जाने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं ठेकेदार के विरुद्ध विधि सन्मत कार्रवाई की जावेगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय